आर्डर शीट

अपील संख्या /2025 अनवान *तेजराज व अन्य बनाम राज0 सरकार*

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.08.25	वकील अपीलांट्स उपस्थित। उक्त अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत उपखण्ड अधिकारी सायला (जालोर) द्वारा राजस्व प्रकरण संख्या 13/2017 में पारित आदेश दिनांक 23.10.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया। वकील अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। वकील अपीलांट द्वारा अपील मीमों एवं स्थगन प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए मुख्यतः निवेदन किया कि तहसील सायला स्थित ग्राम दहियावास के ख0नं0 542 एवं 548 की भूमि अपीलांट की खातेदारी में दर्ज है। जिसमें रास्ता दर्ज करने की कार्यवाही एवं आदेश से पूर्व अपीलार्थी को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नही दिया गया और न ही अपीलार्थी से सहमति ली गई, मौके पर रास्ता चालू नही है। तहसीलदार को भूमि अर्जन की सम्यक प्रक्रिया अपनाये बिना भूमि को रास्ते में परिवर्तन करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नही है। अपीलाधीन आदेश बिना किसी जांच के, विधि विरूद्ध पारित किया गया है, अतः इसकी पालना एवं प्रभाव को स्थगित करने का आग्रह किया गया। बहस पर मनन किया तथा अपील के साथ प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं अपीलांट अधिवक्ता की स्थगन के संबंध मे चाही गई इस्तदुआ पर भी मनन किया। अपीलाधीन आदेश ''रास्ते की समस्याओं का निराकरण अभियान –2016'' के तहत दिनांक 23.10.2017 को पारित किया गया है।	

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

स्वयं अपीलांट द्वारा उक्त अपील में अपीलाधीन आदेश के परिणामस्वरूप राजस्व रेकर्ड में किए गये परिवर्तन नामान्तरकरण एवं जमाबंदी को निरस्त फरमाने का अनुतोष चाहा गया है। जिसके विरूद्ध अपीलाधीन आदेश में स्पष्टः यह उल्लेखित है कि उक्त आदेश राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र कमांकः प.3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08.2016 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम, 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार पारित किया गया है। तहसीलदार सायला के प्रस्ताव में मौके पर चालू रास्ते की, मौका एवं रेकर्ड की जांच में सही होना व संबंधित खसरान के काश्तकारों को जरिये नोटिस सूचित कर, राजस्व रेकर्ड में अंकन हेतु प्रस्तावित करना बताया गया है। अतः इस स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.10.17 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा 7 वर्ष 9 माह पश्चात प्रस्तुत, उक्त अपील औचित्यपूर्ण प्रतीत नही होने से इसी स्तर पर खारिज की जाती है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर, फैसल शुमार की जावे। निर्णय आज दिनांक खुले न्यायालय लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर